

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2812/

जबलपुर, दिनांक ३ / ११ / २०२०

श्री राम आसरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 18.08.2020 से 21.09.2020 तक 35 दिवस अनाधिकृत रूप से अवकाश उपभोग किये जाने से उक्त अवधि को अवैतनिक किया जाता है एवं दिनांक 29.09.2020 से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 29.09.2020 से वेतन का भुगतान आगामी आदेश तक रोका जाता है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/2813/

जबलपुर, दिनांक ३ / ११ / २०२०

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम इनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका / अवकाश / प्रोटोकॉल / वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री राम आसरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(किशोर पिठवे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2814/

जबलपुर, दिनांक 3/11/2020

श्री मनोज सिंह, कोर्ट अटेन्डेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1181 दिनांक 13.03.2020 एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/3893 दिनांक 07.10.2020 के द्वारा अवकाश का निराकरण हो जाने से रोके गये वेतन को कर्तव्य पर उपस्थिति दिनांक 17.08.2020 से वेतन के भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/2815/

जबलपुर, दिनांक 3rd/11/2020

प्रतिलिपि :-

- सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
- असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
- ए.ओ. (जे) लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
- सहायक वेतन पत्रक / सेवापुस्तिका / अवकाश / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- श्री मनोज सिंह, कोर्ट अटेन्डेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिट्रे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.